—1.

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक ———— / 2013 निगरानी R 3909 I/13

निगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

1. मन्दिर श्री रामजानकी वॉके ग्राम पिपरिया पाराशर तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा जरिये पुजारी लखनदास पुत्र श्री तुलसीदास जाति बैरागी
1. लखनदास पुत्र श्री तुलसीदास बैरागी पुजारी मंदिर श्री रामजानकी
2. प्रहलादसिंह पुत्र श्री देवीसिंह लोधी
3. कमलसिंह पुत्र श्री देवीसिंह लोधी
4. भवानीसिह पुत्र श्री देवीसिंह लोधी

समस्त निवासीगण ग्राम पिपरिया पाराशर तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा

श्री रामेश्वरदयाल अग्रवाल, अभि० द्वारा आज दि. 30-10-13 को प्रस्तुत
30/10/13
क्लार्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वि0

गैर निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

1. रामसिंह पुत्र श्री बाबूलाल लोधी
2. नारायणसिंह पुत्र श्री बाबूलाल लोधी
3. श्रीमती राधाबाई बेवा पत्नी स्व श्री बाबूलाल लोधी

समस्त निवासीगण ग्राम पिपरिया पाराशर तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17.9.2013 जो प्रकरण कमांक 1/अ-70/12-13 में न्यायालय तहसीलदार तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा ने पारित किया है।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण / अनावेदकगण की निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:—

1. यहकि, उक्त प्रकरण में विवादित भूमि निगरानीकर्ता कमांक 1 मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम पिपरिया पाराशर के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिसे न्यायालय को गुमराह करने की नियत से पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण मन्दिर श्री

R.-3909.II/13 (विदिशा)

4-7-2016

प्रकरण का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन करने से यह प्रकट है कि निगरानीकर्ता कमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया गया कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर द्वारा निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 13–12–2013 से विवादित भूमि मंदिर श्री रामजानकी ग्राम पिपरिया पाराशर का व्यवस्थापक के रूप में कलेक्टर का नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया गया, जिसे अपर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा अपील में यथावत रखा गया । उक्त आदेशों के पालन में तहसीलदार, ग्यारसपुर द्वारा दिनांक 10–1–2014 को किया जा चुका है । इस प्रकार जो विवाद था वह समाप्त हो चुका है । अब इस प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जावे ।

2/ अतः प्रकरण में निगरानीकर्ता कमांक 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रकरण में कोई बल न देने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । संबंधित सूचित हों ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य